

41  
विहा० ५७१४/२०१८/रीवा/भृष्ट

न्यायालय : मान्ननीय राजस्व मैडल म०प्र० खालियर सर्किंट कोर्ट रीवा,

म०प्र०।

निगरानी प्रक्र०/

/०१८



भवित्वात्तिर्क्षिणी  
मिश्रा इष्टाव्या।

१९.१८/८

रमेश सिंहतनय श्री राजमणि सिंह उम्र-५८ वर्ष पेशा-बेती निवासी ग्राम डिहिया  
तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०।

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

कलहन न्याय कोर्ट  
गजरख म०प्र० ना. ८० न्यायिक  
(सर्किंट कोर्ट) रक्षा

बनाएँ

०१- काशी सिंह तनय ललन सिंहउम्र-४५ वर्ष

०२- धनेश प्रताप सिंह तनय ललन सिंहउम्र-४० वर्ष

०३- उमेश प्रताप सिंह ॥ मृत॥ वारिसान-

अ- श्रीमती अनीता सिंह पत्नी उमेश प्रताप सिंह उम्र-४० वर्ष

ब- सम्प्रताप सिंहतनय उमेश प्रताप सिंह उम्र-२० वर्ष

त- श्रीतल सिंह पुत्री उमेश प्रताप सिंह उम्र-१८ वर्ष

०४- महेश प्रताप सिंह तनय राजमणि सिंह उम्र-५५ वर्ष ॥ मृत॥

०५- विष्णु प्रताप सिंह ॥ मृत॥ जरिये वारिसान-

क- संतोष सिंह तनय उमेश प्रताप सिंह

ख- बेवा विष्णुप्रताप सिंह पत्नी उमेश प्रताप सिंह

सभी निवासीण ग्राम डिहिया तह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०।

-----अनांग/गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विलङ्घ न्यायालय श्रीमान् अमर आयुल्त

महोदय संभाग रीवा के प्रक्र० १२२०/अग्नि/०६-०७

मे पारित आदेश दिनांक २०.०८.०१८

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भ०रा०ल० १९५९

रमेश कुमार ठासुंठ .....

(41)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0-5718 / 2018 / रीवा / भू-रा०

जिला- रीवा

रमेश सिंह / काशी सिंह वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री संजय कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1220/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 